

54 MS
2020/00058
08/02/2021

अज अदालत तहसीलदार / नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम

श्री सुलतान रवा

हलका भूका वडातसिह

पुत्र श्री सुले रवा जाति सुसलमान

निवासी भूका वडातसिह

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं. 55 वर्ष 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुकम और तारीख तामिल की
23-12-2020	पटवारी हलका भूका वडातसिह ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2020 में मौजा भूका वडातसिह के खसरा नंबर 27/3 रकबा 1200 वर्ग फीट किस्म भूमि 5/5 पर नाजायज अतिक्रमण कर काशत व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 11-01-2021 को बमुकाम सिणधरी में पेश हों।	
11-01-2021	पत्रावली पेश हुई और सामल उपस्थित। पीगलीन अधिकारी राणकीप कार्य हेतु लोचपुर पंचारे हे पत्रावली दिनांक 18-01-2021 को पेश हो।	सुलतान रवा
18-01-2021	पत्रावली पेश हुई और सामल उपस्थित। और सामल ने बचाव हेतु समय चाहा जो क्रिया बकर दिनांक 27/01/2021 को पेश हो।	सुलतान रवा

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

11-01-2021

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

27-01-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल की तरफ से उनके वकील ने उपस्थित होकर जवाब देना सायल चाहा जो दिया जाकर पत्रावली दिनांक 10-02-2021 को पेश है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

16-2-2021

पत्रावली पेश हुई। पी एस डी अधिकारी आठ उभरी पर सिवाना पथर हो पत्रावली दिनांक 17-2-2021 को पेश है।

10-2-2021

17-2-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। गैर सायल को जवाब देना मालूम अकलर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 22-2-2021 को पेश है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

22-02-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। गैर सायल को जवाब देना बार-2 अवसर दिये जाने के उपरान्त भी कोई विधि सम्मान साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये। गैर सायल को अतिरिक्त मानते हुए पत्रावली केसल सुमार है। निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली केसल सुमार देकर दाखिल इफ्तार है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर